भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1908

(1908 का अधिनियम संख्यांक 14)

[11 दिसम्बर, 1908]

कतिपय अपराधों के अधिक शीघ्र विचारण के लिए और लोक शांति के लिए खतरनाक संगमों के प्रतिषेध के लिए अधिनियम

यत: कतिपय अपराधों के अधिक शीघ्र विचारण के लिए और लोक शांति के लिए खतरनाक संगमों के प्रतिषेध के लिए उपबन्ध करना समीचीन है ; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम को भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1908 कहा जा सकता है ।

[1][(2) इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पहले भाग ख राज्यों में समाविष्ट थे ।

(3) यह आसाम और उन राज्यक्षेत्रों को लागू होता है जो 1 नवम्बर, 1956 के ठीक पहले, पश्चिमी बंगाल राज्य में समाविष्ट थे, किन्तु किसी राज्य की राज्य सरकार, किसी भी समय, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपने प्रशासन के अधीन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार[2] है, इसको समग्रत: या इसके किसी भाग को प्रवृत्त कर सकेगी ।]

[3]* * * * *

भाग 2

विधिविरुद्ध संगम

15. परिभाषाएं—इस भाग में—

(1) "संगम" से व्यष्टियों की कोई संहति या निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह किसी सुभिन्न नाम से ज्ञात हो या नहीं ; और

(2) "विधिविरुद्ध संगम" से अभिप्रेत है कोई संगम—

(क) जो व्यक्तियों को हिंसात्मक या अभित्रास के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है या सहायता देता है या जिसके सदस्य अभ्यासत: ऐसे कार्य करते हैं ; या

(ख) जो एतद्द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा विधिविरुद्ध घोषित किया गया है ।

16. संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने की शक्ति—[4][(1)] यदि राज्य सरकार की यह राय है कि कोई संगम विधि के प्रशासन में या विधि और व्यवस्था बनाए रखने में हस्तक्षेप करता है या उसका उद्देश्य हस्तक्षेप करना है, या वह लोक शांति के लिए खतरे के रूप में है, तो राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे संगम को विधिविरुद्ध घोषित कर सकती है ।

[5]* * * * *

17. शास्तियां—(1) जो कोई किसी विधिविरुद्ध संगम का सदस्य होगा या ऐसे किसी संगम के अधिवेशनों में भाग लेगा या ऐसे किसी संगम के प्रयोजन के लिए अभिदाय करेगा या प्राप्त करेगा या अभिदाय की याचना करेगा या किसी भी प्रकार ऐसे किसी

---

[1] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] इस उपबन्ध के अधीन यह अधिनियम निम्नलिखित पर विस्तारित किया गया :—
बाम्बे प्रेसिडेंसी पर देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), असाधारण, तारीख 4 जनवरी, 1910 ;
मद्रास प्रेसिडेंसी, संयुक्त प्रांत, पंजाब और मध्य प्रान्त पर, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) असाधारण, तारीख 13 जनवरी, 1910 और भारत का राजपत्र (अंग्रेजी) असाधारण, भाग 1, पृष्ठ 95 ;
पंजाब पर देखिए पंजाब गजट, असाधारण, तारीख 23 जून, 1930 ; दिल्ली राज्य पर देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), आसाधारण, तारीख 9 दिसम्बर, 1920 ; अजमेर-मेरवाड़ पर देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2क, पृ० 515 ।
कुर्ग पर, देखिए कुर्ग गजट, असाधारण, तारीख 11 जनवरी, 1932 ।
यह अधिनियम बरार विधि अधिनियम 1941, (1941 का 4) द्वारा बरार पर विस्तारित किया गया और संस्थाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3(3) (ए) के अधीन अधिसूचना द्वारा संथाल परगना पर, देखिए कलकत्ता गजट (अंग्रेजी) 1909, भाग 1, पृष्ठ 649 ; खोण्डामल्स विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोण्डामल्स जिले में और आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में भी प्रवृत्त घोषित किया गया ।
अधिनियम का विस्तारण विलयित राज्य (विधि) अधिनियम, 1949 (1949 का 59) द्वारा नए प्रान्तों और विलयित राज्यों पर ; संघ राज्यक्षेत्र (विधि) अधिनियम, 1950 (1950 का 30) द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश पर और 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी पर भी किया गया ।

[3] 1922 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा मूल उपधारा (3) निरसित ।

[4] 1932 के अधिनियम सं० 23 की धारा 11 द्वारा मूल धारा 16 को उस धारा की उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[5] 1932 के अधिनियम सं० 23 की धारा 11 द्वारा अंत:स्थापित उपधारा (2) भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

संगम के क्रियाकलापों में सहायता करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई किसी विधिविरुद्ध संगम का प्रबन्ध करेगा या प्रबन्ध में सहायता करेगा या ऐसे किसी संगम के अधिवेशन या उसके सदस्यों के ऐसे सदस्यों के रूप में अधिवेशन को संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तन में सहायता करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा ।

[1][(3) उपधारा (1) के अधीन अपराध पुलिस द्वारा संज्ञेय होगा, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, अजमानतीय होगा ।]

[2][**17क. विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थानों को अधिसूचित करने और उनका कब्जा लेने की शक्ति**—(1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी स्थान को जो उसकी राय में विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, अधिसूचित कर सकती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "स्थान" के अन्तर्गत मकान या भवन या उनका कोई भाग या तम्बू या जलयान आते हैं ।

(2) तदुपरि, जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेन्सी नगर में पुलिस आयुक्त, या इस निमित्त लिखित रूप में, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, अधिसूचित स्थान का कब्जा ले सकेगा और वहां पर पाए जाने वाले किसी व्यक्ति को वहां से बेदखल कर सकेगा और कब्जा लेने की रिपोर्ट तुरन्त राज्य सरकार को करेगा :

परन्तु जहां ऐसे स्थान में स्त्रियों या बच्चों के अधिभोग में कोई खंड है, वहां न्यूनतम संभव असुविधा के साथ उन्हें वहां से हटने के लिए युक्तियुक्त समय और सुविधाएं दी जाएंगी ।

(3) अधिसूचित स्थान, जिसका उपधारा (2) के अधीन कब्जा ले लिया गया है, सरकार के कब्जे में तब तक समझा जाएगा जब तक उसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त रहती है ।

17ख. अधिसूचित स्थान में पाई गई जंगम संपत्ति—(1) जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या अधिसूचित स्थान का कब्जा लेने वाला अधिकारी, उसमें पाई गई सभी जंगम सम्पत्ति का भी कब्जा ले लेगा, और दो प्रतिष्ठित साक्षियों की उपस्थिति में उनकी सूची बनाएगा ।

(2) यदि, जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेन्सी नगर में पुलिस आयुक्त की राय है कि सूची में विनिर्दिष्ट कोई वस्तुएं विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती हैं या की जा सकती हैं, तो वह इस धारा में एतद्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी वस्तुओं को सरकार को समपहृत के लिए कार्यवाही कर सकेगा ।

(3) सूची में विनिर्दिष्ट अन्य सभी वस्तुएं उस व्यक्ति को परिदत्त की जाएंगी जिसे वह उनके कब्जे का हकदार समझता है, या, यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो ऐसी रीति में व्ययन की जाएंगी जो, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त निदेश करे ।

(4) जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 87 में उद्घोषणा के प्रकाशन के लिए उपबंधित रीति के यथाशक्य निकटत: रीति में उन वस्तुओं को विनिर्दिष्ट करते हुए जिनको समपहृत करने की प्रस्थापना है और उन व्यक्तियों से जो यह दावा करते हैं कि कोई वस्तु समपहरण के लिए दायी नहीं है यह मांग करते हुए कि वे लिखित रूप सें पन्द्रह दिन के अन्दर ऐसी वस्तु के समपहरण के विरुद्ध जो अभ्यावेदन वह करना चाहता है दे, एक सूचना प्रकाशित करेगा ।

(5) जहां ऐसा कोई अभ्यावेदन जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा स्वीकार किया जाता है, वहां वह संपृक्त वस्तु से उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार व्यवहार करेगा ।

(6) जहां ऐसा कोई अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है, वहां अभ्यावेदन, उस पर विनिश्चय सहित, जिला मजिस्ट्रेट के विनिश्चय की दशा में जिला न्यायाधीश को, या पुलिस आयुक्त के विनिश्चय की दशा में लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित किया जाएगा, और जब तक कि, यथास्थिति, जिला न्यायाधीश ने या लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अभ्यावेदन पर न्यायनिर्णयन न कर दिया हो समपहरण का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा । जहां विनिश्चय की पुष्टि नहीं की जाती है, वहां वस्तुओं के साथ उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा ।

(7) उपधारा (6) के अधीन न्यायनिर्णयन करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित दावों के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया होगी, जहां तक वह लागू की जा सके, और, यथास्थिति, जिला न्यायाधीश या लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा ।

---

[1] 1932 के अधिनियम सं० 23 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1932 के अधिनियम सं० 23 की धारा 13 द्वारा धारा 17क से धारा 17च अंत:स्थापित ।

(8) यदि अभिगृहीत वस्तु जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, यदि वह समीचीन समझे, तो, उसके तुरन्त विक्रय के लिए आदेश दे सकता है और विक्रय के आगम इसमें अन्य वस्तुओं के व्ययन के लिए उपबंधित रीति में व्ययनित होंगे ।

17ग. अधिसूचित स्थानों पर अतिचार—कोई व्यक्ति जो बिना जिला मजिस्ट्रेट की या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की अनुज्ञा के किसी अधिसूचित स्थान पर प्रवेश करता है या बना रहता है वह आपराधिक अतिचार करने वाला समझा जाएगा ।

17घ. संपत्ति का त्याग—धारा 17क की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना को रद्द करने के पहले, राज्य सरकार ऐसे साधारण या विशिष्ट निर्देश देगी जो वह सरकार द्वारा अधिसूचित स्थान पर कब्जा त्याग को विनियमित करने के लिए अपेक्षित समझे ।

17ङ. विधिविरुद्ध संगम की निधियों के समपहरण की शक्ति—(1) जहां राज्य सरकार का, जो वह ठीक समझे ऐसी जांच के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि कोई धन, प्रतिभूतियां या प्रत्यय विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं या उपयोग के लिए आशयित हैं, वहां राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे धन, प्रतिभूतियों या प्रत्ययों को सरकार को समपहृत घोषित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश की प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जा सकती है जिसकी अभिरक्षा में धन, प्रतिभूतियां या प्रत्यय हैं, और ऐसी प्रति की तामील पर ऐसा व्यक्ति धन, प्रतिभूतियों और प्रत्ययों का राज्य सरकार के आदेशानुसार संदाय या परिदान करेगा :

परंतु, धन या प्रतिभूतियों की दशा में, आदेश की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा चयन किए गए अधिकारी को निष्पादन के लिए पृष्ठांकित की जा सकेगी और ऐसे अधिकारी को ऐसे धन या प्रतिभूतियों के लिए किन्हीं परिसरों में जहां उनकी युक्तियुक्त: होने की शंका हो सकती है, प्रवेश करने और तलाशी लेने की और उन्हें अभिगृहीत करने की शक्ति होगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन समपहरण का आदेश देने के पहले राज्य सरकार उस व्यक्ति को (यदि कोई हो) जिसकी अभिरक्षा में धन, प्रतिभूतियां या प्रत्यय पाए जाते हैं उसके समपहरण करने के आशय की लिखित सूचना देगी, और तद्द्वारा, व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश जारी किए जाने से पन्द्रह दिन के अन्दर जिले में जिला न्यायाधीश को या प्रेसिडेन्सी नगर में लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह स्थापित करने के लिए कि धन, प्रतिभूतियां या प्रत्यय या उनमें से कोई समपहरण के दायी नहीं है, आवेदन फाइल कर सकेगा और यदि ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, तो संपृक्त धन, प्रतिभूतियों या प्रत्ययों की बाबत समपहरण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे आवेदन का निपटारा न कर दिया जाए और जब तक कि जिला न्यायाधीश या लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह विनिश्चय नहीं कर दे कि धन, प्रतिभूतियां या प्रत्यय समपहरण के दायी हैं ।

(4) उपधारा (3) के अधीन आवेदन का निपटान करने में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा वह दावों के अन्वेषणों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया होगी, जहां तक कि वह लागू की जा सकती है, और, यथास्थिति, जिला न्यायाधीश या लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) जहां राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में कोई धन, प्रतिभूतियां या प्रत्यय हैं जो विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं या जिनका उपयोग में लाया जाना आशयित है तो राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार के लिखित आदेश के अनुसार के सिवाय संदाय, परिदान, अथवा अंतरण करने से या उस वस्तु से किसी भी रीति में अन्यथा व्यवहार करने से प्रतिषेध कर सकती है । ऐसे आदेश की एक प्रति ऐसे व्यक्ति पर तामील की जाएगी जिसको वह निदेशित है ।

(6) राज्य सरकार [1][उपधारा (5)] के अधीन आदेश की एक प्रति किसी अधिकारी को जिसका वह चयन करे अन्वेषण के लिए पृष्ठांकित कर सकेगी, और ऐसी प्रति वारंट होगी जिसके अधीन ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति के जिसको आदेश निदेशित है कोई भी परिसरों पर प्रवेश कर सकेगा, ऐसे व्यक्ति की बहियों की परीक्षा कर सकेगा, धन और प्रतिभूतियों के लिए तलाशी ले सकेगा, और ऐसे व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति के किसी अधिकारी, अभिकर्ता या सेवक से पूछताछ कर सकेगा, जो ऐसे धन, प्रतिभूतियों या प्रत्ययों के उद्भव या व्यवहार से संबंधित हों जिनके बारे में अन्वेषण अधिकारी को यह आशंका है कि विधिविरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है ।

(7) इस धारा के अधीन आदेश की प्रति दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में समन की तामील के लिए उपबंधित रीति में तामील की जा सकती है, या, जहां जिस पर तामील की जानी है वह व्यक्ति कोई निगम, कम्पनी, बैंक या व्यक्तियों का संगम है, वहां समन को किसी सचिव, निदेशक या उसके प्रबन्ध से संपृक्त किसी अधिकारी या व्यक्ति पर या निगम, कम्पनी, बैंक या संगम को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर छोड़कर या उसके पते पर डाक द्वारा भेज कर या जहां पर कोई रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नहीं है वहां उस स्थान पर जहां वह कारबार करता है, तामील की जा सकती है ।

---

[1] 1934 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "उपधारा (3)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन धन, प्रतिभूतियों या प्रत्ययों की बाबत जिनके बारे में [1][उपधारा (5)] के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश दिया गया है समपहरण का आदेश दिया जाता है, वहां समपहरण के ऐसे आदेश का प्रभाव प्रतिषेधात्मक आदेश की तारीख से होगा और वह व्यक्ति जिसको प्रतिषेधात्मक आदेश निदेशित था सभी संपृक्त धन, प्रतिभूतियों और प्रत्ययों को राज्य सरकार के आदेशानुसार संदत्त या परिदत्त करेगा ।

(9) जहां कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन राज्य सरकार के आदेशानुसार धन, प्रतिभूतियों या प्रत्ययों को संदत्त या परिदत्त करने का दायी है, इस निमित्त राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों का अनुपालन करने से इंकार करता है या असफल रहता है, वहां राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से ऐसे धन या प्रत्यय की रकम या ऐसी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य भू-राजस्व के बकाया के रूप में या जुर्माने के रूप में वसूल कर सकती है ।

(10) इस धारा में "प्रतिभूति" के अन्तर्गत ऐसी दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह धन संदाय करने के विधिक दायित्व के अधीन है, या, जिसके अधीन कोई व्यक्ति धन के संदाय का विधिक अधिकार अभिप्राप्त करता है, और किसी प्रतिभूति के बाजार मूल्य से इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा नियत मूल्य अभिप्रेत है ।

(11) जहां तक इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है उसके सिवाय, उपधारा (6) के अधीन किसी अन्वेषण के अनुक्रम में अभिप्राप्त कोई जानकारी सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, राज्य सरकार की सम्मति के बिना, प्रकट नहीं की जाएगी ।

17च. अधिकारिता का वर्जन—संपत्ति का कब्जा लेने की प्रत्येक रिपोर्ट और इस अधिनियम के अधीन की गई या जिसका किया जाना तात्पर्यित है ऐसे समपहरण की प्रत्येक घोषणा, सभी व्यक्तियों के विरुद्ध इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि उसमें विनिर्दिष्ट संपत्ति, यथास्थिति, सरकार द्वारा कब्जे में ले ली गई है या सरकार को समपहृत हो गई है और धारा 17ख और 17ङ में यथा उपबंधित के सिवाय धारा 17क, 17ख, 17ग, 17घ या 17ङ के अधीन तात्पर्यित कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी, और किसी व्यक्ति के विरुद्ध उक्त धाराओं के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए या किसी संपत्ति को जिसका कब्जा इस अधिनियम के अधीन सरकार ने ले लिया है या उसकी बाबत हानि या क्षति के लिए सरकार के या सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी ।]

18. संगमों का चालू रहना—केवल विघटन के किसी औपचारिक कार्य के या नाम-परिवर्तन के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि कोई संगम विद्यमान नहीं रहा है किन्तु तब तक चालू समझा जाएगा जब तक कि ऐसे संगम के प्रयोजनों के लिए उसके सदस्यों के बीच कोई संहति चालू है ।

अनुसूची—भारतीय दण्ड विधि संशोधन निरसन अधिनियम, 1992 (1992 का 5) की धारा 3 द्वारा निरसित ।

———

[1] 1934 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "उपधारा (3)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।